राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–1293/2022)

जब्बर सिंह **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग पाली ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय सिरोही।
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डांगावरली, पिण्डावाडा, सिरोही।
6. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जोधपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 01.09.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को पेंशन कुलक आदि भरकर दिये जिस पर सहायक लेखाधिकारी प्रत्यर्थी सं. 5 के कार्यालय ने दिनांक 14.10.2020 को आक्षेप लगाया कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800/– गलत रूप से दिया गया है। जिस पर दिनांक 19.01.2021 तथा 08.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी से वसूली के आदेश जारी किये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील संख्या 1250/2021 माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करने के पश्चात् तथा प्रत्यर्थी विभाग की उपस्थिति में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए वसूली के आदेशों को तथा आक्षेप को निरस्त किया गया तथा अपीलार्थी को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर क्रमशः 4200, 4800 व 5400/– ग्रेड पे देने के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.2021 को तथा 30.04.2021 को पुनः अनेक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.09.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने के बावजूद तथा पेंशन कुलक आदि सितम्बर 2020 में ही भरे जाने के बावजूद ना तो आज तक पेंशन दी गई है और ना हीं ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन व उपार्जित अवकाश

का भुगतान किया गया है। जिसके कारण अपीलार्थी को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा परिवार को चलाने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने आज तक भी अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को पेंशन जारी कर दी गई है, परंतु अपीलार्थी को पेंशन का लाभ देरी से दिया गया है। अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–89 के तहत देरी से किये गए भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि चयनित वेतनमान गलत रूप से स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी से अपीलार्थी से राशि रू0 83480/– की वूसली निकाली गई एवं वूसली राशि जमा करवाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा असहमति प्रदान की गई एवं अपीलार्थी द्वारा जारी वूसली आदेशों को अपील संख्या 1250/2021 जब्बर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष चुनौती प्रदान की गई, माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 1250/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 17.02.2021 जारी करते हुए वूसली को स्टे (stay) किया गया एवं प्रस्तुत अपील को माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 05.04.2021 के द्वारा स्वीकार किया गया एवं प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया गया कि अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे तथा अपीलार्थी को अध्यापकों के समान ही 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाये। अपीलार्थी के संबंध में माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.04.2021 की पालना पूर्ण करते हुए अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान पर ग्रेड–पे–5400 का प्ररिलाभ प्रदान किया गया तथा अपीलार्थी के समस्त वेतन निर्धारण किये जाकर अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण को स्वीकृति हेतु पेंशन विभाग को प्रेषित कर दिया गया। पेंशन विभाग द्वारा अपीलार्थी को पीपीओ संख्या 1175242 जीपीओ संख्या 3303006 एवं सीपीओ संख्या 4199126 दिनांक 03.08.2022 को जारी कर दिये गये हैं। अपीलार्थी को नियमानुसार देय पेंशन परिलाभ प्रदान किये जाने के संबंध में पेंशन को सेवानिवृति से पूर्व ही दिनांक 21.08.2020 को पेंशन विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु नियमों के अन्तर्गत देय परिलाभों से वसूली करवाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा असहमति प्रदत्त की गई एवं वसूली आदेश को माननीय अधिकरण द्वारा स्टे किया गया। जिससे अपीलार्थी को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सके साथ ही माननीय अधिकरण

के आदेश दिनांक 05.04.2021 की अनुपालना किये जाने का प्रशासनिक निर्णय शासन के स्तर पर लिये जाने के उपरांत अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समस्त परिलाभ संदाय किये जाने के उपरांत पुनः अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण को पेंशन विभाग को प्रस्तुत किया गया एवं अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण करवाया गया। पेंशन नियमों के नियम–89 (5) के अनुसार सेवानिवृति परिलाभों पर राज्य सरकार के आदेशानुसार कोई शिथिलता प्रदान की जाती है तो पेंशन परिलाभों पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी को देरी से सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया था, ऐसे में अपीलार्थी को विलम्ब से भुगतान पर ब्याज प्रदान किया जाये। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग का तर्क है कि अपीलार्थी से वसुली निकाली गई थी, परंतु वसुली की राशि जमा कराने में असहमति प्रदान की गई थी और वसुली के आदेश के विरूद्ध अधिकरण में अपील प्रस्तुत की गई थी। इस कारण पेंशन भुगतान में देरी हुई है। प्रत्यर्थी विभाग का यह भी तर्क रहा है कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति परिलाभ में शिथिलता प्रदान की गई थी। इसलिए पेंशन परिलाभों पर ब्याज देय नहीं होगा। हमारे मत में केवलमात्र वसुली के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ रोका जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान गलत रूप से स्वीकृत होना बताया गया था, जिसे अधिकरण ने अपील संख्या 1250/2021 में सही नहीं माना है और अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का पे–ग्रेड 5400/– का ही परिलाभ प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिस आधार पर वसुली निकाली गई है, वो अधिकरण ने गलत माना है। हमारे मत में सेवानिवृत्ति परिलाभों में ब्याज केवलमात्र उस स्थिति में देय नहीं है, जब सरकारी कर्मचारी की ओर से प्रक्रिया की पालना नहीं की गई हो। वसुली निकाले जाने में अपीलार्थी की कोई गलती होना नहीं माना जा सकता है और अधिकरण द्वारा वसुली को अपास्त भी किया जा चुका है। ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत सरकारी कर्मचारी की ओर से गलती किया जाना नहीं माना जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को शिथिलता प्रदान की गई है। प्रत्यर्थी विभाग का उपरोक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वसुली का आदेश अधिकरण द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसे में शिथिलता प्रदान किये जाने का कोई आधार पैदा नहीं होता है। अतः हमारे मत में अपीलार्थी

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति परिलाभों में हुये भुगतान में जो देरी हुई है, उस पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज प्रदान किया जाये।

6. इस आदेश की पालना 2 माह में की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)